<u>न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म०प्र०)</u> (समक्षः डी.एस.मण्डलोई)

<u>विविध आप. प्र.क्र.— 05 / 14</u> संस्थित दिनांक — 01.07.2013

कुमारी चेतना पिता श्री कृष्ण कुमार मडावी, उम्र 14 साल, नाबालिग वली नानी रमसुला पति विक्रमसिंह आयु 60 साल, जाति गोंड निवासी सोनपुरी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- — — — — आवेदिका

-// <u>विरुद</u>्ध //-

कृष्णकुमार मंडावी पिता मनोहर मंडावी, उम्र 40 साल, जाति गोंड निवासी वार्ड नं. 06 उकवा तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

आवेदिका की ओर से श्री गणेश गोंडाने अधिवक्ता। अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय।

–<u>:: आदेश ::</u>–

<u>(आज दिनांक 25/08/2014 को पारित किया गया)</u>

- (01) इस आदेश द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता, प्रस्तुति दिनांक 01/07/2013 का निराकरण किया जा रहा है ।
- (02) आवेदिका का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका की मां अंजु एवं कृष्णकुमार का विवाह सामाजिक रीति रिवाज अनुसार सम्पन्न हुआ था। आवेदिका अनावेदक कृष्ण कुमार एवं अंजु की वैध सन्तान है। आवेदिका का जन्म दिनांक 07.07.1999 को अनावेदक कृष्णकुमार एवं अंजु के संसर्ग से हुआ था। आवेदिका के जन्म के 13 दिन बाद उसकी मां अंजु की मृत्यु हो गई। आवेदिका की मां अंजु की मृत्यु पश्चात् अनावेदक कृष्ण कुमार ने दूसरा विवाह कर लिया। अनावेदक कृष्ण कुमार के द्वारा आवेदिका के पालन—पोषण एवं आवेदिका का ध्यान नहीं रखने से आवेदिका नानी के पास रह रही है। उसकी नानी वृद्ध है और आवेदिका के पास काम का कोई साधन नहीं है। आवेदिका कक्ष्मी 10 वी मे अध्ययनरत् है। उसे पढ़ाई के लिये लगभग 6000/—रूपये खर्च आता है। अनावेदक ने दूसरा विवाह कर

लिया अनोवदक की दूसरी पत्नी ने आवेदिका को घर से बाहर निकाल दिया। अनावेदक इंडिया लिमिटेड मैंगनीज खान उकवा में स्थाई कामगार है और प्रतिमाह 20,000/—रूपये कमा लेता है। अनावेदक आवेदिका का भरण—पोषण करने में उपेक्षा बरत् रहा है। अनावेदक पर्याप्त आय एवं साध्न सम्पन्न व्यक्ति होकर जान बूझकर आवेदिका का भरण—पोषण करने से मना कर रहा है। अनावेदक से आवेदिका को आवेदन दिनांक से 6000/—रूपये प्रतिमाह भरण—पोषण राशि दिलाई जावे।

- (03) अनावेदक दिनांक 23.12.2013 को अनुपस्थित रहा। अनावेदक की अनुपस्थित के कारण अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
- (04) आवेदिका के भारण—पोषण आवेदन—पत्र का निराकरण करने हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :—
 - (अ) क्या आवेदिका अंजु एवं अनावेदक कृष्णकुमार की वैध सन्तान है ?
 - (ब) क्या आवेदिका का अनावेदक से पृथक रहने का पर्याप्त कारण है तथा अनावेदक सक्षम होते हुए भी आवेदिका का भरण—पोषण करने में उपेक्षा बरत रहा है ?
 - (स) क्या आवेदिका अनावेदक से भारण—पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारी है ?

—:: <u>सकारण — निष्कर्ष</u> ::—

विचारणीय बिन्दु कमांक ''अ'' एवं 'ब्' :-

- (05) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क. 'अ' व 'ब' का एक साथ विचार किया जा रहा है।
- (06) आवेदिका साक्षी रमसुलाबाई (अ.सा.०1) का कहना है कि अनावेकद कृष्ण कुमार एवं अंजु का विवाह वर्ष 1998 में हुआ और चेतना अनावेदक कृष्ण कुमार एवं अंजु की वैध सन्तान है। अनावेदक ने दूसरा विवाह सरिता से कर लिया है और अनावदेक आवेदिका चेतना का भरण—पोषण नहीं कर रहा है। आवेदिका चेतना

पढ़ाई करती है, जिसमें उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए 6000 / —रूपये का खर्च आता है। अनावेदक उकवा खान में काम करता है और 22,000—23,000 / —रूपये प्रतिमाह आय लेता है।

- (07) आवेदिका साक्षी मोहनपुरी (अ.सा.02) के भी अभिवचन है कि आवेदिका चेतना अनावेदक कृष्ण कुमार एवं स्व. अंजु की पुत्री है। अनावेदक का विवाह आवेदिका की मां स्व. अंजु से वर्ष 1998 में हुआ था। अनावेदक शराब पीता है और अनावेदक की दूसरी पत्नी आवेदिका चेतना के साथ गाली—गलौच उसे भगा देती है। आवेदिका उसकी नानी के घर रह रही है। अनावेदक ने आवेदिका को भरण—पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की है। अनावेदक उकवा खान में काम करता है जिससे अनावेदक को प्रतिमाह 22,000—23,000 /— रूपये की आय होती है। अनावेदक पर्याप्त आय व साधन सम्पन्न वाला व्यक्ति है और आवेदिका का भरण—पोषण करने में सक्षम है। आवेदिका का कक्षा 10वी में अध्ययनरत् है और उसकी पढ़ाई—लिखाई और खाने पीने में लगभग 6000 /—रूपये प्रतिमाह का खर्चा आता है।
- (08) आवेदिका की ओर से प्रस्तुत साक्षियों के कथन का खण्डन अनावेदक की ओर से नहीं किया गया। ऐसी स्थिति आवेदिका की ओर से प्रस्तुत साक्षियों की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार दर्शित नहीं होता है।
- (09)उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर आवेदिका अनावेदक कृष्णकुमार और अंजु की वैध सन्तान है और अनावेदक कृष्णकुमार ने दूसरा विवाह कर लिया है और आवेदिका कक्षा 10वी में अध्ययनरत है। उसके पढ़ाई-लिखाई और खाने-पीने की व्यवस्था अनावेदक द्वारा की गई। ऐसी अभिलेख में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। अनावेदक इंडिया लिमिटेड मैंगनीज खान में भी कामगार होने के संबंध में भी खंडन नहीं हुआ। अनावेदक एवं अनावेदक की दूसरी पत्नी के द्वारा उसको घर से निकाल दिया तब से आवेदिका उसकी नानी के पास रहकर बालाघाट में अध्ययनरत है। यह साक्ष्य विवेचना से स्पष्ट प्रतीत होता है। आवेदिका अनावेदक कृष्णकुमार और अंजु की वैध सन्तान है। यह भी साक्ष्य विवेचना से स्पष्ट प्रतीत होता है। यदि इंडिया लिमिटेड मैंगनीज खान में कामगार 10,000—12,000 / —रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करता होगा यह मान लिया जाये तो वह आवेदिका के भरण—पोषण करने में सक्षम है। अनावेदक ने आवेदिका भरण-पोषण एवं पढाई-लिखाई की व्यवस्था की ऐसी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। इससे भी प्रतीत होता है कि अनावेदक आवेदिका की भरण-पोषण में उपेक्षा बरत् रहा है। आवेदिका ने भरण-पोषण एवं पढ़ाई-लिखाई हेत् 6000 / -रूपये प्रतिमाह का खर्च होना बताया है, किन्तु इस संबंध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। यदि

मान भी लिया जाये कि आवेदिका पढ़ाई—लिखाई करती है तो उसके पढ़ाई—लिखाई और भरण—पोषण में 1000—1500 / —रूपये प्रतिमाह खर्चा होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

विचारणीय बिन्दु कमांक "स्र्यं=

- (10) विचारणीय बिन्दु क 'अ' एवं 'ब' के निष्कर्ष के आधार पर आवेदिका अनावेदक की वैध सन्तान है। आवेदिका का जन्म आवेदिका की मां अंजु एवं अनावेदक कृष्णकुमार के दामपत्य जीवन के दौरान होना भी साक्ष्य विवेचना से स्पष्ट प्रतीत होता है। अनावेदक आवेदिका का भरण—पोषण करने में सक्षम होते हुए भी आवेदिका के भरण—पोषण में उपेक्षा बरत् रहा है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रावधानों के तहत शारीरीक रूप से सक्षम व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी वैध सन्तान जो कि भरण—पोषण करने में सक्षम नहीं है। उसका भरण—पोषण का दायित्व उसके माता पिता पर है। अनावेदक का भी नैतिक एवं विधिक दायित्व है कि वह उसकी सन्तान का भरण—पोषण करें। आवेदिका अनावेदक से भरण—पोषण की हक राशि प्राप्त करने की अधिकारी है।
- (11) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 स्वीकार कर अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि वह आवेदिका को भरण—पोषण रूपये 1000 / (एक हजार) आदेश दिनांक से अदा करें।
- (12) आदेश की एक प्रति आवेदिका को निःशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट